

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक/का.शा./2025-26/सीसीटीवी/एसटीआर/

174

दिनांक: 08.08.25

कार्यालय आदेश

कार्यालय परिसर में सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। समय समय पर कार्मिकों के द्वारा CCTV कैमरे की विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने हेतु मौखिक रूप से आग्रह किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय के समस्त कार्मिकों को सूचित किया जाता है की भविष्य में CCTV कैमरे की विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर उप.महालेखाकार/प्रशासन के अनुमोदन उपरांत ही विडियो रिकॉर्डिंग/Photos उपलब्ध की जाएगी। लिखित आवेदन में विडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता का कारण एवं चाही गयी रिकॉर्डिंग की अवधि (दिनांक एवं समय) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय में लगाये गये CCTV कैमरे की विडियो रिकॉर्डिंग का बैकअप अवधि लगभग 08 दिन ही है।

(उपमहालेखाकार/प्रशासन के आदेश दिनांक.11.08.25 द्वारा जारी)

-हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

कार्यपालन शाखा

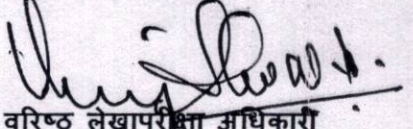
क्रमांक/का.शा./2025-26/सीसीटीवी/एसटीआर/

668

दिनांक: 08.08.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र. ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/ए.एम.जी. 1,2,3,4 एवं 5. प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय म.प्र.
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12,13,14, विधि कक्ष, गोपनीय कक्ष, फास (एम), सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, कल्याण शाखा, हिंदी कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट-पी.ए.सी., आई.टी.ए., स.ले.प.अ. (डी.एजी. सेल)/ ए. एम. जी.-1,2,3,4,5, ऑडिट इम्पैक्ट सेल, ए.पी.डी.ए.सी., नीतिगत प्रबंधन इकाई ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / आई.एस. विंग को इन्टरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. व.ले.प.अ./प्रशासन, महानिदेशक (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, शाखा ग्वालियर
6. व.ले.प.अ. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म.प्र. भोपाल, शाखा ग्वालियर
7. सूचना पटल।
8. गार्ड फाइल।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

कार्यपालन शाखा